

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)  
अपील संख्या:- 12/69/2021

अपीलार्थी:-

श्री पवन कुमार कौशिक निवासी प्लॉट नं०  
07, युगल विहार कॉलोनी गोवर्धन, मथुरा  
उत्तरप्रदेश 281502

प्रत्यर्थी:-


लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति० जिला  
कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:निर्णय:—

दिनांक:-03.05.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 20-12-2020 के माध्यम आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 03.05.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 942 दिनांक 22.04.21 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा०पत्र० दिनांक 20-12-20 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी स्थापन प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर के पत्रांक 426 दिनांक 14.01.2021 के माध्यम से प्राप्त होने पर पत्रांक लो०सू०अ०/विविध/2021/141 दिनांक 18.01.21 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जवाब से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
6. निर्णय आज दिनांक 03.05.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
(मन्मूल पहाड़िया)  
जिला कलक्टर  
अलवर (राज०)